न्यायालय उप जिला अधिकारी मिल्कीपुर, जनपद-फैजाबाद
महात्मा जगजीवन साहब महाविद्यालय, रामनगर, अमानीगंज, फैजाबाद
द्वारा प्रबन्धक बनाम सरकार

वाद संख्या 99
अन्तर्गत धारा 142 ज.वि.आ.
ग्राम रामनगर टड़वाँ
परगना खण्डासा
तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही महात्मा जगजीवन साहब महाविद्यालय, रामनगर, अमानी गंज फैजाबाद, द्वारा प्रबन्धक के प्रार्थना-पत्र के आधार पर इस इस आशय से प्रारम्भ हुई कि गाटा संख्या 102/0.437, 109/0.159, 110/0.210, 73/0.217, हे0 स्थित ग्राम- टडवाँ फैजाबाद मौके पर आबादी की शक्ल ओर अकृषक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त गाटे को आबादी घोषित किया जाय। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मिल्कीपुर, की आख्या प्राप्त होने के बाद वाद पंजीकृत किया गया।

तहसीलदार मिल्कीपुर से प्राप्त स्थलीय एवं अभिलेखीय आख्या का अवलोकज किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रदत्त स्थलीय एवं अभिलेखीय आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रदत्त की गयी आख्या में यह कहा गया है कि गाटा संख्या- 102/0.437, 109/0.159, 110/0.210, 73/0.217, हे0 पर महात्मा जगजीवन साहब महाविद्यालय रामनगर, अमानीगंज, फैजाबाद पर भवन व बाउन्ड्रीवाल बनी है। इस प्रकार उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषि प्रयोजन के लिए होता है। मौके पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। धारा- 143 ज.वि.अ. के अन्तर्गत उक्त गाटे को आबादी घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट दी गयी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम- टडवाँ, परगना- खण्डासा गाटा संख्या- 102/0.437, 109/0.159, 110/0.210, 73/0.217, हे0 को अकृषक घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि परता मुताबिक लगान मुक्त किया जाय तथा भूचित्र में इस रकबे को अलग रंग से दिखाया जाए और मौके पर चिन्हित भी किया जाय। आदेश की प्रति तहसीलदार मिल्कीपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित किया जाए। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 6.05.2009

आर0 के0 खतौनी में दर्ज करने हेतु प्रेषित
6/05/09

प्रबन्धक/सचिव
महात्मा जगजीवन साहब इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रामनगर, अमानीगंज
अयोध्या

6/5/09
उप जिलाधिकारी
मिल्कीपुर- फैजाबाद